कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/[illegible]–2001 वि–1 (4) दिनांक चण्डीगढ़ [illegible]

नियमानुसार जाच उपरान्त [illegible] को केवल शैक्षिक सत्र 2001–2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली की, 10+2 (माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्टस, कार्मस संकाय प्रारम्भ करने की अस्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. विद्यालय के प्रबन्धक इस मान्यता के आधार पर अस्थाई/नियमित/स्थाई रूप से मान्यता प्रदान करने का कोई क्लेम नहीं करेंगे तथा अगले वर्ष हेतु अस्थाई/नियमित /स्थाई विद्यालय का निरीक्षण विभागीय कमेटी से पुन: करवाकर कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही मान्यता देने पर विचार किया जा सकेगा । सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक आगामी शैक्षणिक सत्र 2002–2003 में विद्यालय में छात्रों का प्रवेश तब तक नहीं करेंगे जबतक कि उनको निदेशालय स्तर पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती । निदेशालय द्वारा इस बारे जो भी निर्णय लिया जायेगा वह विद्यालय के प्रबन्धकों को मान्य होगा ।

2. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार /विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नही करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वान्छित सभी आवश्यक साधन/सुविधाए अपने खर्चे पर उपलब्ध करायेगे ।

3. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होने एम0ए0/ एस0 एस0 सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तो के अर्न्तगत की जायेगी।

4. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए ।

5 जमा एक तथा दो कक्षाओ के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेगें इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नही की जायेगी।

President Vice President
Mount View Education Society
Sarai Aurangabad (B.Garh)

6. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तो का पालन करना होगा।

7. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायेगें जिनकी टीचिग/लर्निग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय मे उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

9. सरकार की हिदायता अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा ।

10. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा ।

11. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

12. स्टाफ का वेतन बैंक चैक द्वारा ही दिया जाएगा ।

13. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाए ।

14. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया - राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैज करवाई जाए ।

15. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

16. भविष्य में छात्र/छात्राओं को प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

17. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेगे वह मान्य होगे ।

18. इस मान्यता को स्थाई मान्यता के लिय आधार नहीं माना जायेगा ।

19. स्थाई मान्यता प्रदान करने की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने हेतु इस अस्थाई मान्यता को नोटिस भी माना जाये।

20. विद्यालय की भूमि के दस्तावेज एक महीने में संस्था के नाम स्थानान्त्रण करवाने होगें ।

राजेश्वर दयाल श्योकन्द
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृ0क0 सम दिनांक, चण्डीगढ़ 15-9-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबन्धक, माऊन्ट व्यू हाई स्कूल बहादुरगढ़

2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी ~~हिसार~~ झज्जर को उनके कमांक 2541-3-2001/773 दिनांक 31-8-2001 के संदर्भ में

सहायक निदेशक विद्यालय–1
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

President Vice President
Mount View Education Society
Sarai Aurangabad (B.Garh)

[illegible]

[illegible] स्कूल [illegible] (झज्जर) को [illegible] की स्थाई [illegible] दिनांक 1.4.2001 से निम्न शर्तो पर [illegible] है:—

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से [illegible] ग्रान्ट इत्यादि की मांग नही करेंगे ।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय–2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 349 तक की सभी शर्तो की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा–4 की सभी शर्तो को पूर्ण करेगा तथा इसके जों नियम बनेगे उनकी विद्यालय पालना करेगा
5. अध्यापकों को वेतन क्रास चैक द्वारा दिया जाये ।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा ।
7. विद्यालय शेष 65,062/–रूपए प्लैज राशि के रूप में एक मास के अन्दर–अन्दर जमा करवाएगा ।

राजेश्वर दयाल श्योकन्द
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ

पृष्ठाकंन कमांक सम   दिनांक चण्डीगढ 22.8.2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर को उनके कमांक स्था–3–2000/992 दिनांक 24.8.2000 के सन्दर्भ मे ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
3. मुख्याध्यापक माऊन्ट वियु हाई, स्कूल बहादुरगढ (झज्जर)

Principal
Mount View High School
Affiliated to CBSE (Aff. No. 530819)
Jhajjar Road, Opp. Power House
Sector-2, Bahadurgarh

President / Vice President
Mount View Education [illegible]
Aurangabad (B.Garh)